न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
67 / 2022	06 / 12 / 2022	19 / 05 / 2023

संतोष बाई पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नि हंसराज, जाति कलाल निवासी इटावा हाल निवास महावीर नगर प्रथम कोटा।

वादी

बनाम

1. सचिन पुत्र भंवरलाल जाति कलाल निवासी माई जी मौहल्ला, मोतीकुंआ इटावा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. सचिन चौधरी पुत्र रणवीर चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम बाडौली, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

वादी द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के संयुक्त खाते एवं कब्जे की आराजी, खसरा संख्या 1152 रकबा 3.30है. किस्म माल प्रथम, खसरा संख्या 1385 रकबा 0.08है., किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 96 रकबा 1.95है., किस्म नहरी प्रथम कुल 3 किता रकबा 5.34है. वाके ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित है, जिसमें वादिनी का 1/10 हिस्सा दर्ज है, जिस पर वादिनी बतौर खातेदार काबिज है। प्रतिवादी क्रम 2 भू–माफिया है तथा प्रतिवादी क्रम 1 का उक्त आराजी में वादीनी के समान 1/10 हिस्सा दर्ज है और उक्त भूमि पुश्तैनी है, जिसका विधिवत् अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी न. 1 का वादिनी के 1/10 हिस्से की आराजी से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है, किन्तु प्रतिवादी न. 1, जो कि वादिनी का भाई है, वह बदयान्तिपूर्वक अपने 1/10 हिस्से के साथ ही वादिनी के 1/10 हिस्से की भूमि में भी अवैध व गैर कानूनी तरीके से आबादी प्लानिंग कर भूमि व प्लॉट्स अन्य लोगों को बेचान करने पर उतारु है, जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 2 जो कि भू–माफिया है, उसे अपने साथ मिला लिया है, और जिससे प्रतिवादी नं0 1 द्वारा भूमि बेचान का सौदा भी कर लिया गया है, और अब दोनों मिलकर अवैध रुप से आबादी प्लानिंग भूमि में करके भिन्न भिन्न प्लॉट्स को विक्रय करने को उतारु है, जिसका कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के उक्त अवैध कृत्य की जानकारी होने पर वादिनी ने इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादिनी के हिस्से की भूमि में कोई प्लानिंग नहीं करने और भूमि या भाग को खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु निवेदन किया, तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनाक 05.10.2022 को वादिनी की कोई भी बात मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया तथा धमकी दी, कि यदि उन्हें उक्त

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

भूमि में आबादी प्लानिंग करने व व प्लाट्स विक्रय करने से रोका गया, तो ये वादिनी को जान से ही मार कर खत्म कर देंगे, और वादिनी की उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अवैध कृत्य को रोकने हेतु उक्त वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2 भू–माफिया होने से उन्हें बतौर प्रतिवादी संख्या 2 पक्षकार बनाया गया है। उक्त भूमि पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की है, और विधिवत बंटवारा कराये हुये किसी भी सहभागीदार को भूमि या भाग को खुर्द–बुर्द करने का अधिकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी सख्या 2 से मिलकर भूमि व भाग को प्लाट्स के रुप में विक्रय के उतारु है, जिसमें यदि वे सफल हो गये, तो वादिनी को अकारण ही अपने 1/10 हिस्से की भूमि से वंचित होना पडेगा ओर जिससे उसके हितों पर कुठाराघात होगा और अपरिमित क्षति होगी। प्रस्तुत वाद पेश करने का वाद कारण भूमि संयुक्त खातेदारी की होने, और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी सख्या 02 से अवैध रुप से भूमि विक्रय की बात करते हुये बलपूर्वक भूमि में आबादी प्लानिंग कर प्लाट्स विक्रय करने का प्रयास करने और दिनांक 05.10.2022 को वादिनी के मना करने के बावजूद वादिनी की कोई बात मानने से स्पष्ट इनकार हो जाने पर उत्पन्न हुआ है। वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की उक्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अन्त में निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि वह वादिनी के संयुक्त खाते की वाद पत्र के पैरा सं 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1162, 1185 एवं 96 की 5.34है0 वाके ग्राम इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा के वादिनी के 1/10 हिस्से पर वादिनी के कब्जे में ताकत के बल पर कोई दखलन्दाजी व मजाहमत व मदाखलत नहीं करे, और न ही वादिनी के हिस्से की भूमि में अवैध रुप से कोई आबादी प्लानिंग कर प्लॉट्स काटे, और न प्लाट्स काटकर अन्यत्र व्यक्तियों को विक्रय व हस्तान्तरित करे और न इस हेतु किसी से कोई राशि ही प्राप्त करें, तथा अवैध व गैर–कानूनी तरीके से वादिनी को उसके 1/10 हिस्से की भूमि से वचिंत भी नहीं करे। ऐसा कार्य न तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं करें और न अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों व एजेन्टों से कराये।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा बिना किसी वैधानिक आधार के हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा दिनांक 02.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रिलीज डीड निश्पादित की जाकर उप पंजीयक पीपल्दा के समक्ष पंजीबद्व करवायी जा चुकी है। जिसके आधार पर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जरिये नामान्तरकरण वादी का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में खाते से हटाया जा चुका है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुये पुरानी नकल जमाबन्दी के आधार पर हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया है, जो कि खारिज किया जाने योग्य है। वादी का वादगस्त प्रकट की गई भूमि में कोई हित अथवा हिस्सा दर्ज नहीं होने से वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई वादाधिकार ***[Locus standii]*** उत्पन्न नहीं होने

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

से वादी को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होने से वाद इसी स्तर पर नामंजूर किये जाने योग्य है। अन्त में हस्तगत वाद सारहीन होने इसी स्तर पर नामंजूर कर खारिज करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वादी को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद भी वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अन्ततः जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाकर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु वाद पत्र का ही अवलोकन करना होता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा उसके हिस्से की भूमि दिनांक 02.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रिलीज डीड के माध्यम से ट्रांसफर की जा चुकी है। वादी द्वारा रिलीज डीड से पूर्व की नकल जमाबन्दी प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पश्ट है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रिलीज डीड पंजीकृत करवाने के पश्चात् वादी को वाद प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक घटक 'वाद कारण' का गठन नहीं हुआ है। फलतः वाद कारण के गठन के अभाव में वाद नामंजूर कर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी स्वीकार किया जाकर दावा वादी नामंजूर कर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, इटावा_जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

बउनवान

संतोष बाई पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नि हंसराज, जाति कलाल निवासी इटावा हाल निवास महावीर नगर प्रथम कोटा।

वादी

बनाम

1. सचिन पुत्र भंवरलाल जाति कलाल निवासी माई जी मौहल्ला, मोतीकुंआ इटावा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. सचिन चौधरी पुत्र रणवीर चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम बाडौली, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

मिसल नं0 67 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 नामंजूर कर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर से आज **19.05.2023** को डिक्री जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूपयै	रूपयै
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेंहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा